

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड गोरखपुर-01
शाहपुर योजना सं0 2/3, गोरखपुर।
E-Mail:cd37gkp@upavp.com



पत्रांक :- 1491

/ जी-06 /

53

दिनांक 09.12.2024

ई-निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के सुसंगत श्रेणी "IV" में पंजीकृत अनुभवी/विशेषज्ञ ठेकेदारों/फर्मों से प्रतिस्पर्धात्मक निविदाएं निम्न विवरण के अनुसार आमन्त्रित की जाती है। आमन्त्रण की विस्तृत सूचना उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की वेबसाइट www.upavp.in तथा <http://etender.up.nic.in> पर देखा जा सकता है। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से उक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहे, किसी भी प्रकार की संशोधन सूचना उक्त वेबसाइट पर ही अपलोड की जायेगी।

क्र 0 सं 0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (रु0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रु0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य+18 प्रतिशत जी0एस0टी0 (रु0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा पद्धति
1	2	3	4	5	6	7
1	राजकीय इण्टर कालेज, देवरिया में 50 कि0ली0 व 18.00 मी0 स्टेजिंग का ओवर हेड टैंक का निर्माण कार्य।	17.50	0.35	2500.00 + 18% GST =2950.00	06 माह	SINGLE BID

निविदा से सम्बन्धित विवरण	तिथि व समय
Document Download Start	11.12.2024 (4:00 PM)
Document Download End	20.12.2024 (3.00 PM)
Bid Submission Start	11.12.2024 (5:00 PM)
Bid Submission Closing	20.12.2024 (3.00 PM)
Bid Opening Date	20.12.2024 (3.30 PM)



नियम व शर्तें-

- निविदा प्रपत्र का उपरोक्तानुसार निर्धारित मूल्य व वांछित धरोहर धनराशि का भुगतान **R.T.G.S.** के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड गोरखपुर-01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गोरखपुर के पक्ष में अलग-अलग कार्यों हेतु निम्न विवरण के अनुसार निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व तक सांय 5.00 बजे तक किया जा सकता है। उपरोक्त की स्कैन प्रति तकनीकी बिड के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

Name of Holder	:	Executive Engineer U.P. Avas Evam vikas Parishad, Gorakhpur
A/C No.	:	045202000000007
IFSC Code	:	IOBA0000452
Name of Bank	:	INDIAN OVERSEAS BANK
Branch Name	:	VIJAY CHOWK GORAKHPUR
- फर्म/ठेकेदार का जी0एस0टी0 में पंजीकरण होना अनिवार्य है। जी0एस0टी0 अलग से देय होगी। कार्य की लागत में जी0एस0टी0 को छोड़कर अन्य समस्त कर सम्मिलित है। तदसमय देय जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार कार्य की लागत पर देयता के अनुसार किया जायेगा।
- निविदादाता फर्म का आयकर विभाग/श्रम विभाग इत्यादि में पंजीकरण होना अनिवार्य होगा। उसके सभी देयकों से नियमानुसार आयकर, सेस टैक्स, रायल्टी एवं अन्य कोई कर जो राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की नियमानुसार कटौती की जायेगी।
- निविदादाता को निविदा स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध गठन से पूर्व निविदा के अनुसार कार्य की कुल लागत का 05 प्रतिशत सिक्वोरिटी भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक (केनरा बैंक को छोड़कर) एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड गोरखपुर-01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गोरखपुर के पक्ष में बन्धक बनाकर जमा करना होगा एवं शेष 05 प्रतिशत की जमानत धनराशि रनिंग बीजक से समय-समय पर कटौती की जायेगी। इस प्रकार कुल 10 प्रतिशत जमानत धनराशि का प्राविधान उक्तानुसार निविदा शर्तों में निहित होगा।
- किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथियों में अवकाश हो जाने पर निविदा अगले कार्यदिवस में खोली जायेगी।
- कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री प्रचलित आई0एस0 कोड की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार होगी तथा ठेकेदार/फर्म को सामग्री की टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग/उ0प्र0 जल निगम एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की विशिष्टियों अनुसार ही कराये जायेंगे तथा उ0प्र0 शासन के नवीनतम शासनादेश के अनुसार डिफैक्ट लायबिल्टी अवधि तीन वर्ष होगी। उक्त हेतु 1 प्रतिशत धनराशि अन्तिम बीजक के भुगतान की तिथि से तीन वर्ष बाद संतोषजनक कार्य पर अवमुक्त किया जायेगा।
- निविदा की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्य की मात्रा में किसी भी सीमा तक परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिये ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार/व्यक्ति सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जाएगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा।

Handwritten signatures and initials in blue ink.

9. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा।
10. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य पूर्ण करने हेतु कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार करनी होगी। प्रगति आकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूमूलेटिव प्रगति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार की जायेगी, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
11. उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्म करा नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम नियमावली वर्ष 2009 के विनियम 24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा एवं श्रमिक का एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। अतः निविदा स्वीकृति एवं अनुबन्ध गठन के पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्तानुसार पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही प्रथम देयक का भुगतान किया जायेगा तथा प्रत्येक देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी।
12. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर, कम (Below) माना जायेगा।
13. जी0पी0डब्ल्यू0 फार्म-9 के क्लज-40 के अनुसार कार्य के कुल लागत की 1.00 प्रतिशत की धनराशि वारण्टी के रूप में तीन वर्षों तक रोकी जायेगी।
14. जी0पी0डब्ल्यू0 फार्म-9 अनुबन्ध का हिस्सा होगा।
15. शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2 ऑडिट/08टी0सी0-2 के अनुसार बी0ओ0क्यू0 की दरों से Below दर होने पर ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त धरोहर धनराशि अनुबन्ध गठित करने से पूर्व अनिवार्य रूप से जमा करना होगा अन्यथा निविदा अमान्य होगी।
(क) 10%तक Below दर पर 0.50%प्रति 1.00% कम (Below)दर के लिए।
(ख) 10%से अधिक Below दर पर 1.00%प्रति 1.00%कम (Below) दर के लिए।
16. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
17. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
18. निर्माण कार्य के सम्पादन कार्यस्थल के आस-पास के भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा में किसी भी प्रकार क्षति के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा। सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने का शपथ-पत्र रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर तकनीकी बिड के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
19. निर्माण कार्य को सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरित कराने का दायित्व ठेकेदार/फर्म का होगा, तत्पश्चात् ही कार्य का अन्तिम भुगतान किया जाएगा।
20. किसी प्रकार के सर्वर आदि के आकस्मिक रूप से विलम्बित होने के कारण बिड अपलोड करना अथवा परिषद खाते में धनराशि विलम्ब से प्राप्त होने की स्थिति में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद उत्तरदायी नहीं होगा।


 (ई0 राजेन्द्र नाथ राम)
 अधिशासी अभियन्ता


पत्रांक एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, ग्लोबल कन्स्ट्रक्शन एण्ड कन्सलटेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरानगर, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता-गोरखपुर, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गोरखपुर।
3. सहायक अभियन्ता/सम्बन्धित अवर अभियन्ता/संगणक, निर्माण खण्ड-गोरखपुर-01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गोरखपुर।
4. लेखाकार, निर्माण खण्ड- गोरखपुर-01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गोरखपुर।
5. इन्चार्ज, कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय, लखनऊ को परिषद वेबसाईट पर प्रचारित-प्रसारित करने हेतु।
6. कार्यालय नोटिस बोर्ड।


 अधिशासी अभियन्ता
